वार्षिक परियोजना रिपोर्ट

नवंबर 2023- अक्तूबर 2024

लैंगिक समानता एवं न्याय क्षमतावर्धन एवं संवेदनीकरण

विषयसूची

- परिचय
- विवरण
- रिव्यू बैठकें
- गाँव स्तर पर बैठकें
- मोबलाईजेशन व आर्गेनाईजेशन सदस्यता बैठकों का ब्यौरा
- कोशिशों से सफलताओं की तरफ बढ़ते कदम
- सर्वाइवर महिलाओं के साथ
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- सर्वाइवर महिलाओं के बच्चों के साथ
- PMVT कोर टीम का विभिन्न विभागों व् संस्थानों में एक्स्पोजर
- केसवर्क
- सुख चैना दे ध्याडे
- सफल कहानी
- हमारी आवाज़
- चेयरपर्सन के नजनिए से

परिचय

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित एक सामाजिक संस्था है जो समाज में समता-समानता, महिलाओं पर होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न जैसे, घरेलू हिंसा तथा कार्यस्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न इत्यादि के खिलाफ लगभग 15 वर्षों से हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है| संगठन में कार्यरत कोर टीम में अधिकतर साथी महिलाएं दलित समुदाय से संबंध रखती हैं| वे अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हिंसा व उत्पीड़न की शिकार रही हैं तथा बहादुरी से इसके खिलाफ लड़कर समाज में अपनी एक पहचान बनाते हुए मिसाल कायम की है| संगठन हिमाचल की ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है| इसके साथ ही संगठन की हमेशा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश रहती है, जहाँ वे स्वयं को हर तरह से सुरक्षित महसूस करे|

8 मार्च 2007 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक मंच के रूप में शुरुआत की गई, जिसके लिए पंचायतों में चुनकर आई हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों (कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी व कुल्लू) की अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा हाशिये पर रह रही महिला प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया! इस कार्यक्रम में संकल्प लिया गया कि मंच महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हर प्रकार की हिंसा, जैसे शारीरिक, भावनात्मक,लैंगिक, यौनिक, आर्थिक व जातिगत हिंसा तथा कई तरह के भेदभावों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा!

2014 में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 'पर्वतीय महिला अधिकार मंच' का गठन किया गया। मंच की पहुँच राज्य स्तर पर हो, इसके लिए हम सकारात्मक सोच के साथ राज्य के अन्य संगठनों के साथ संपर्क की प्रक्रिया में हमेशा से सक्रिय रहे हैं! 2022 में पर्वतीय महिला अधिकार मंच को अधिकारिक रूप से पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट की मान्यता प्राप्त हुई|

यह स्पष्ट है कि पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली महिलाओं का संगठन है| दलित महिलाएं समाज के सबसे निचले पायदान पर आती हैं| जातिगत भेदभाव और घरेलू हिंसा की प्रताड़ना के साथ-साथ पितृसतात्मक समाज की असमानताएं, सामान्य वर्ग की महिलाओं द्वारा उत्पीड़न व छुआछूत आदि दलित महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय हैं! ट्रस्ट ये समझ रखता है कि इनका सामना करने के लिए दलित महिलाओं का सशक्तिकरण करना अति आवश्यक है|

वर्तमान में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट में 2500 से अधिक महिलाएं सदस्य के रूप में जुड़ी हैं! इसके साथ ही ट्रस्ट घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों की सुनवाई करके उनको सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने की दिशा में एक कदम आगे है|

विवरण

आज से लगभग 10 साल पहले हम सभी ने एक सपना देखा था एक ऐसे घर का, जिसमें आने के बाद किसी को निकाले जाने का डर न हो, जहां की दीवारों में हमारी हंसती-रोती यादें टंगी हों, जहां के दरवाजे हमारे दिलों की तरह हमेशा खुले रहें, जहां की खिड़कियाँ हमारे अतीत की चीखों से नहीं बल्कि हमारी हंसी के ठहाकों से गूंजे, चूल्हे के पास बैठने से पहले जातीय भेदभाव, छुआछूत, बड़े-छोटे, महिला-पुरुष जैसी कोई बात मन में न खटके, जहां की हवाएं हमारे सुख-दुःख की साक्षी बनें।

संगठन एक ऐसे विचार के साथ खड़ा है जो समाज में समता-समानता, बराबरी, भेदभावमुक्त/छुआछूतमुक्त समाज की बात करता हो| शांत, देवभूमि कहे जाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में आज भी ऐसे मुद्दे हैं, जिनके बारे में न तो ज्यादा बात होती है और न ही अभी तक उन पर इतनी रिसर्च हुई है| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट समाज में मौजुद विभिन्न मुद्दों के साथ साथ, खासतौर से संगठन दलित महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है| जातिगत मुद्दों तथा महिलाओं के साथ होने वाले हर प्रकार के शोषण के खिलाफ लड़ना संगठन का मुख्य उद्देश्य है| समाज में होने वाली हर प्रकार की हिंसा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों पर संगठन की नींव रखी गई| ऐसा इसलिए कि पीढ़ियों से समाज महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को सामान्य रूप से स्वीकार करता आया है| ट्रस्ट यह समझ रखता है कि हिंसा के व्यक्तिगत, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक से लेकर राजनीतिक पक्ष को समझकर काम किया जाए| गाँव स्तर की बैठकों, क्षमता वर्धन प्रशिक्षणों, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, तथा एक्सपोज़र के माध्यम से महिलाओं के साथ मिलकर ट्रस्ट काम करता है| हिंसा के क्यों और कैसे को समझते हुए महिलाओं, शोषित, दबे कुचले तथा हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए एक ऐसा माहौल बनाने की ट्रस्ट की कोशिश रही है जहां आकर वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करे|

पिछले एक वर्ष में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट ने संगठन के विस्तार और मजबूतीकरण पर काम किया| हिंसा, समता-समानता पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए संगठन, पंचायत स्तर पर एक सहयोग का वातावरण बनाकर अपने काम को एक कदम बढ़ाने में सफल रहा है

रिव्यू बैठकें:- प्रत्येक संगठन का आधार रणनीति तथा रिव्यू बैठकें होती हैं, जहां टीम का हर साथी आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रमों, बैठकों, कार्यशालाओं आदि पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, और कार्यक्रम के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, ऐसे विषयों पर स्वतंत्र रूप से सलाह मशवरे अथवा सुझाव भी देते हैं| इसी आधार पर पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक माह दो बैठकों (रणनीति तथा रिव्यू) का आयोजन किया जाता है| इसके अलावा संगठन यह समझ रखता है कि आत्मालोचना-आलोचना किसी भी संगठन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं| इसलिए इस भूमिका की महत्ता को समझते हुए कोर टीम के साथियों की व्यक्तिगत व सांगठनिक जिम्मेदारियों पर समीक्षा करके समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है|

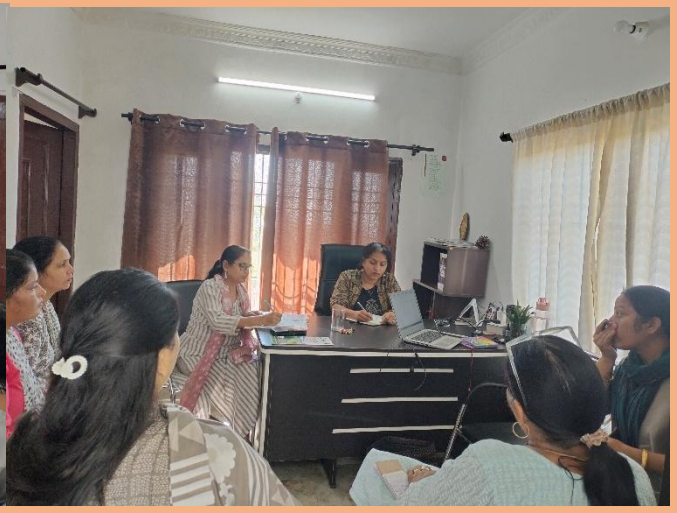

गाँव स्तर की बैठकें

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट पिछले 16 वर्षों से पर्वतीय महिला अधिकार मंच के बैनर तले गाँव स्तर पर कार्य कर रहा है| गाँव स्तर की बैठकों में समस्याओं को जानना व समझने का प्रयास करना, बैठकों से निकलने वाले मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर उन पर प्राथमिकता से कार्य करना, विभिन्न सामाजिक रूढ़ियों व मुद्दों पर बातचीत/चर्चाओं व कानूनन जानकारी के जरिए लोगों को जागरूक करना आदि सम्मिलित रहता है| इसके साथ ही बैठक के दौरान विभिन्न प्रकार की योजनाओं, सरकारी हक्दारियों, विभिन्न प्रकार के कानूनों की जानकारियों तथा आजीविका से जुड़े स्किल डेवलपमेंट आजीविका संसाधनो के प्रति लोगों को जागरूक करना, महिलाओं पर हो रही हिंसा के बारे में खुलकर बात रखना, उनके साथ तालमेल बनाना, उन्हें घर से बाहर निकलने के अवसर प्रदान करना तथा पीड़ित महिलाओं को मानसिक तनाव से उभरने में उनकी मदद करना इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य है! इसके

इलावा गाँव स्तरीय मासिक बैठकों में अब तक किए गए कार्यों व आगे किये जाने वाले कार्यों की योजना के मुख्य बिन्दुओं पर बातचीत व् चर्चा-परिचर्चा, बैठक का जरूरी हिस्सा होता है! इन सभी के साथ-साथ किसी भी पीड़ित महिला को गाँव में ही या रिश्तेदार, दोस्त, महिला मण्डल या पंचायत के सहयोग से एक सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए भी ट्रस्ट वचनबद्ध है।

“ मींजो नी पता लगदा कतां-कतां जो जाणा” (“I don’t know where I have to go”)

{गाँव स्तर की बैठक में वृद्ध महिला द्वारा पेंशन स्कीम की जानकारी लेते हुए}

“गांव स्तर की बैठकें व उनका ब्यौरा”

क्रं सं.	पंचायतों के नाम	कुल पंचायतें	कुल गाँव	कुल बैठके	कुल सदस्य	सदस्यता
01.	अवेरी, कुकैना, घोड़पीठ, मझेरना व टिक्करी	5	28	42	636	121
02.	झिक्लिभेठ, खडानाल, बंडीयां, माधोनगर व धरेड	5	25	53	740	50
03.	भट्टू, संसाल, पंजाला, सेहल व धानग	5	34	55	860	119
04.	चुगान, गुनेहड़ व क्योर , चुगान व दयोल	5	19	47	745	30
		20	106	197	2981	320

हिंसा से सम्बंधित मुद्दे: हिंसा किसी भी प्रकार की हो ट्रस्ट उसके खिलाफ आवाज उठाने व् हिंसा मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है ! इसलिए गांव स्तर की बैठकों में जब हिंसा से सम्बन्धित कोई मुद्दा आता है तो ट्रस्ट द्वारा उसे प्राथमिकता के तौर पर लिया जाता है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, कार्य स्थल पर होने वाली यौन हिंसा, छेड़-छाड़ व् जातीय हिंसा, जातीय यौन शोषण सम्बन्धित हिंसा इत्यादि! हिंसा से पीड़ित सदस्य को PMVT में एप्लीकेशन लिख कर देना और कार्यालय में केस वर्क टीम को तुरंत बताना, सम्बन्धित कोर टीम सदस्य सुविधाप्रदाता का मुख्य कार्य रहता है ,ताकि जल्द से जल्द अग्रिम कार्यवाही के लिए कदम उठाये जाएं और पीड़ित सदस्य को जल्द से जल्द राहत दिलाई जा सके !

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के आसपास अपनेपन का माहौल तैयार करना:

गाँव स्तर की बैठकों में टीम के साथियों द्वारा हिंसा व कानून से सम्बंधित जानकारी दी जाती है| इसके साथ ही समाज में व्याप्त महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विभिन्न रूपों तथा खासतौर से घरेलू हिंसा को सामान्य रूप से न देखते हुए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्यों जरूरी है, यह भी विशेष रूप से बैठक का हिस्सा होता है| बैठकों या व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरह की हिंसा का मामला जब भी समूहों व महिला मंडलों अथवा सम्बंधित कोर टीम सदस्य के पास आता है, तो उनका पहला कर्तव्य रहता है कि पीड़िता के साथ हर परिस्थिति में खड़े होकर उन पर हो रही हिंसा के खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाई जाए| पीडिता स्वयं को अकेला न समझे, इसके लिए ट्रस्ट द्वारा एक सुरक्षित तथा अपनेपन का माहौल सुनिश्चित किया जाता है|

विभिन्न प्रशिक्षणों व् कार्यक्रमों का आयोजन: घरेलू हिंसा सर्वाइवर्ज़ महिलाओं को समय समय पर मानसिक तनाव से उभरने व क्षमता वर्धन के लिए अनेक तरह के कार्यक्रमों व प्रशिक्षण दिया जाता है| जिसमें वेनलीडो ट्रेनिंग, मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधित सेशन, आजीविका प्रशिक्षण, कानूनी शिक्षा कार्यशाला, थिएटर ट्रेनिंग इत्यादि शामिल हैं|

केसवर्क व दस्तावेजीकरण: संगठन में आने वाले घरेलू हिंसा व अन्य मामलों की गंभीरता से पैरवी की जाती है जिसका टीम के साथियों को काफी सालों का अनुभव प्राप्त है| मामलों की निष्पक्ष जांच, पीड़ित की काउंसलिंग व दोस्ताना माहौल बनाना तथा दस्तावेजीकरण करना टीम के साथियों का मुख्य कर्तव्य है|

वार्षिक मोबलाईजेशन व आर्गेनाईजेशन सदस्यता बैठकें

क्रं .सं .	पंचायत का नाम	गांव का नाम	बैठक की तिथि	कुल सदस्य
01.	अवैरी	टंगु अवैरी	16/12/2023	57
02.	भट्टु	लोअर भट्टु	19/12/2023	53
03.	धरेड़	धरेड़	03/01/2024	50
04.	सेहल	लोअर सेहल	08/01/2024	57
05.	कूकेना	अपर कूकेना	24/01/2024	45
06 .	अवेरी	कुकेना	14/03/2024	45
07.	भट्टु	पंजाला	11/03/2024	50
08 .	धानग	लोअर धानग	16/03/2024	47
09 .	गुनेहड़	लाहड़	22/03/2024	47
10.	माधोनगर	उतराला	21/03/2024	57
1 1.	कूकेना	कुकेना	14/03/2024	45
1 2.	भट्टु	पंजाला	11/03/2024	50
1 3.	धानग	लोअर धानग	16/03/2024	49
14.	गुनेहड़	लाहड़	22/03/2024	57
1 5.	माधोनगर	उतराला	21/03/2024	47
16.	कून्सल	कून्सल	13/06/2024	44
1 7.	गड़ियाडा	गड़ियाडा	13/06/2024	40
18.	झिकली भेठ	ढेरन	07/05/2024	34
1 9.	घोड़पीठ	अपर भेठ	06/06/2024	63
20.	दयोल	दयोल खास	08/10/2024	38
कुल	पंचायतें -20	गाँव-20		कुल सदस्य – 975

कोशिशों से सफलताओं की ओर बढ़ते कदम

(एक वर्ष में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम)

क्रं.सं.	प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम	वेन्यू	सदस्यों की संख्या
01.	डिजिटल सिक्यूरिटी ट्रेनिंग	पीएमवीटी कार्यालय	पीएमवीटी कोर टीम
02.	एक दिवसीय ओरिएंटेशन	पीएमवीटी कार्यालय	20
03.	महिला मुद्दों पर एक दिवसीय चर्चा-परिचर्चा	बैजनाथ	कोर टीम (पीएमवीटी)
04.	एक दिवसीय ओरिएंटेशन	पीएमवीटी कार्यालय	18
05.	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 प्रशिक्षण	संभावना संस्थान	31
06.	मानसिक तनाव को कम करने हेतू घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के साथ कार्यशालाएं व कार्यक्रम	जिला कांगड़ा	40
07.	घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के बच्चों के साथ कार्यक्रम	जिला कांगड़ा	487
08.	आवाज़ें फाउंडेशन के साथ	कंडबाड़ी कार्यालय तथा दिल्ली	13
09.	कहानी की दुकान के साथ	पीएमवीटी ऑफिस	13
10.	पाँच दिवसीय थिएटर प्रशिक्षण	चंबा	16
11.	पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में नुक्कड़ नाटकों का दौर	जिला कांगड़ा	1016
12.	एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यक्रम	कंडबाड़ी कार्यालय	पीएमवीटी टीम
13.	महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का प्रयास	ब्लॉक बैजनाथ	16
14.	POSH अधिनियम पर आधारित एक दिवसीय ओरिएंटेशन	हमीरपुर	पीएमवीटी टीम

- **डिजिटल सिक्यूरिटी ट्रेनिंग:-** नवम्बर माह 2023 में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा डिजीटल सिक्योरिटी ट्रेनिंग का आयोजन पीएमवीटी कार्यालय कंडबाड़ी में किया गया| इस प्रशिक्षण को करवाने का ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य, टीम का क्षमता वर्धन करना तथा घरेलू हिंसा मामलों का दस्तावेजीकरण, केस वर्क, फॉलोअप व काउंसलिंग आदि करते समय टीम को टेक्नीकली किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी जानकारी हासिल करना रहा| प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन के रूप में संघपाली अरुणा, पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट टीम सम्मिलित रहे|

- **अर्ध-सामंती व्यवस्था की ज़ंजीरें, पितृसत्ता, तथा महिलाएं:** महिलाएं प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रताड़ना से जुझती हैं| उनके अनुभव इतने खट्टे होते हैं कि कोई भी मिठास उन ज़ख्मों को मिटा नहीं सकती| ऐसी परिस्थितियों में भी वे सबकी जरूरतों का ख्याल रखती है| उनका जीवन केवल दूसरों को खुश करने और देखने में व्यतीत होता है| उनके पास एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता जिनके साथ वे अपने जीवन के सफ़र को बयाँ कर सके| बचपन से लेकर जवानी तक के अलग अलग सामाजिक, आर्थिक तथा खासतौर पर भावनात्मक अनुभवों को पार करते हुए वे अपने हमसफ़र में उस साथी को ढूढती हैं, जिसके साथ उम्र भर के अच्छे-बुरे अनुभवों को बेपरवाह, बेझिझक होकर साझा कर सके| उनके अन्दर शिकायतों, हसी के ठहाकों, आंसुओं, उम्मीदों, बचपन के किस्सों, सीक्रेट बातों का इतना पिटारा भरा रहता है कि एक साल भी सुनने के लिए कम हो| लेकिन इस तथाकथित पितृसत्तात्मक समाज की विडंबना यह भी है कि महिलाओं को कभी खुल कर हंसने, चलने, अपनी आवाज़ को बुलंद करने तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला| उन्हें बस बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र ही दर्जा दिया गया| शर्म की बात है कि जिस कोख से वह बच्चा पैदा करती है और जिन स्तनों से दूध पीकर बच्चा पुरुष बनता है, वही पुरुष उनके शरीर के अंगों पर आधारित गालियों को प्रचलित करता है|

महिलाओं के लिए ऐसी कहावतों का सामान्यीकरण किया जाता है, (उदाहरणार्थ: महिला ही महिला की दुश्मन है, सास- बहु की आपस में जन्म जन्मान्तर तक नहीं जम सकती आदि) जो उन्हें समाज में और अकेलापन झेलने को मजबूर कर देती हैं| इन्हीं मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चाओं पर आधारित पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट कोर टीम द्वारा दिसम्बर माह में एक दिवसीय ऑरिएंटेशन का आयोजन किया गया|

- **अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 प्रशिक्षण:**
  पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 पर प्रशिक्षण कार्यक्रमं का आयोजन संभावना संस्थान कंडबाड़ी में किया गया| कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून के बारे में जानकारी हासिल कर टीम व अन्य साथियों का क्षमता वर्धन करना तथा एट्रोसिटी मामलों पर व्यक्तिगत व कानूनी रूप से किस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी हासिल करना है| प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट टीम के अलावा प्रो-ऐक्टिव मेम्बर्स व पंचायत प्रतिनिधि सम्मिलित रहे|

- **आवाज़ें फाउंडेशन के साथ:** मई तथा अक्तूबर माह 2024 में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट कार्यालय कंडबाड़ी तथा यूएसओ संस्थान दिल्ली में आवाज़ें फाउंडेशन के साथी के साथ एक/दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया| बैठक में मुख्य तौर पर संगठन द्वारा किए गए कार्यों के विषय में गहनता से चर्चा-परिचर्चा तथा आने वाले समय में जाने वाले कार्यों की रणनीति साझा की गई| इसके साथ ही आवाज़ें फाउंडेशन के साथी द्वारा जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों का ब्यौरा लिया गया तथा गाँव स्तरीय बैठक में भी व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हुए| दिल्ली के यूएसओ भवन में आयोजित वार्षिक रिव्यू तथा आगामी कार्यों की योजना व रणनीति पर पीएमवीटी कोर टीम द्वारा अपने अपने कॉम्पोनेन्टस पर विस्तारपूर्वक प्रेज़न्टेशन प्रस्तुत की गई| इसके अलावा आवाज़ें फाउंडेशन के साथी द्वारा पीएमवीटी कार्यालय आकर टीम तथा अकाउंटैंट साथी के साथ वार्षिक बजट के विषय में प्राथमिकता गहन चर्चा-परिचर्चा की गई|

- **पाँच दिवसीय थिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम:** 16 वर्षों के अनुभवों से संगठन ने महसूस किया कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों को थिएटर के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है| इसीलिए संगठन द्वारा हिमाचल में कार्यरत **कहानी की दुकान फाउंडेशन** के साथ कंडबाड़ी कार्यालय में एक दिवसीय बैठक में थिएटर प्रोग्राम, ट्रेनिंग तथा प्रस्तुतियों पर आधारित गहन चर्चा-परिचर्चा के पश्चात के साथियों के साथ थिएटर के विभिन्न रूपों को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से समझने का निर्णय लिया गया| समय-समय पर '**कहानी की दुकान फाउंडेशन**' के साथियों के साथ लगातार बैठकों के बाद 'स्क्रिप्ट राइटिंग, विजुअल आर्ट, स्टोरीटेलिंग' इत्यादि पर प्राथमिकता से काम करके विभिन्न मुद्दों पर आधारित नाटक तैयार करने का फैसला किया गया| जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10 महिला साथियों की एक टीम तैयार की गई| मई माह के अंत में जिला चंबा में पाँच दिवसीय थिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया| जिसमें सभी साथियों ने भावनाओं, नवरसों, थिएटर के प्रकारों व अपने अनुभवों व अपने एहसासों के बारे में खुलकर बातचीत की और बहादुरी से व्यक्त भी किया| पाँच दिवसों की अवधि में थिएटर टीम द्वारा मुख्य ट्रेनरों के साथ मिलकर घरेलू हिंसा, जातिगत भेदभाव, मानसिक स्वास्थ्य, जेन्डर असमानता आदि मुद्दों पर आधारित नाटक तैयार किए गए|

- **जिला कांगड़ा में नुक्कड़ नाटकों का सिलसिला**

जून-जुलाई माह 2024 में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा गाँव/पंचायत, तकनीकी संस्थानों, सरकारी विभागों आदि में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति का शुभारंभ किया गया| थिएटर टीम हिमाचल की महिलाओं की सच्ची कहानियों पर आधारित नुक्कड़ नाटक तैयार व प्रस्तुत करके बराबरी तथा हिंसा व जातिगत भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना हो, यह संदेश देने का प्रयास कर रही हैं| इसके साथ ही इन नाटकों के माध्यम से हिमाचल शांत और भोलाभाला और शोषण, भेदभाव और छुआछूत रहित नहीं बल्कि पीढ़ियों की तरह इनसे आज भी इनकी जंगीरों से उतना ही जकड़ा हुआ है| जुलाई माह में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा पंचायत/ब्लॉक स्तर, शैक्षणिक संस्थानों तथा संबंधित विभागों में घरेलू हिंसा व विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित 10 नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया| इसके साथ ही अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से थिएटर टीम को नाटक प्रस्तुति हेतू आमंत्रित किया गया| अतः वर्ष भर में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट लगभग 1016 लोगों तक अपनी पहुँच बनाने में सफल हुआ है|

- **“शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर आधारित नाटक प्रस्तुतिकरण के लिए आपकी टीम जब भी कार्यक्रम का आयोजन करना चाहे, संस्थान की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत है|”**

(आईटीआई संस्थान ठाकुरद्वारा के एम.डी. व प्रिन्सिपल द्वारा कहे गए शब्द)

- “यदि हमें पहले पता होता कि आपका संगठन थिएटर के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुँचने तथा उन्हें जागरूक करने का काम रहा है, तो हम किसी और को क्यूँ बुलाते| अगली बार पालमपुर या जिला कांगड़ा में हम आपके संगठन के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन जरूर करेंगे|”

  (एसडीएम ऑफिस में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति के दौरान एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेइती द्वारा की गई संगठन की सराहना)

एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यक्रम: पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा कंडबाड़ी कार्यालय में कोर टीम के क्षमता वर्धन हेतू एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया| कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोर टीम की प्रपोज़ल पर समझ, अपने अपने कोम्पोनेन्ट की व्यक्तिगत व साझा ज़िम्मेदारियाँ तथा कैनवा और पावर पॉइंट पर प्रेजेन्टेशन बनाना इत्यादि रहा| कार्यक्रम में कोर टीम के लगभग सभी साथी सम्मिलित रहे| टीम की साथी शालिनी चौहान द्वारा कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन की भूमिका अदा की गई| सेशन में टीम के सभी साथियों ने कैनवा पर अपने अपने कॉम्पोनेन्टस पर स्टेप वाइज़ स्टेप प्रेजेंटेशन बनाना, चैटजीपीटी, प्रेजेंटेशन में रचनात्मक रूप से भाषा का उपयोग करना तथा लैपटॉप का इस्तेमाल करना आदि सीखा|

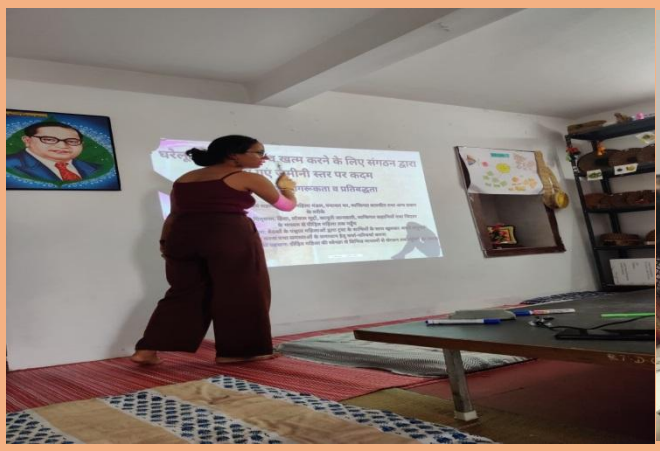

• घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के बच्चों के साथ

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा सर्वाइवर महिलाओं के बच्चों के साथ समय समय पर मानसिक तनाव तथा पॉक्सो एक्ट पर आधारित एक दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया| कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवारों में होने वाली हिंसा से ग्रसित तथा प्रभावित बच्चों की पहचान करना, शारीरिक बदलावों तथा पॉक्सो एक्ट पर जानकारी देना रहा| कार्यक्रमों को सार्थक बनाने के लिए हेल्थ काउन्सलर भी कार्यक्रम में सम्मिलित रहे| बीते कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर काम करते हुए हमें यह महसूस हुआ कि घरेलू हिंसा सीधे रूप से मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है| जब भी परिवार में किसी महिला के साथ हिंसा होती है, तो इससे केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ साथ आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार आदि सभी मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं| परिवार में रह रहे बच्चे, जो अपनी ही उलझनों जैसे शारीरिक बदलाव, उत्सुकता, पीरियडज, भावनात्मक उथल-पुथल आदि को समझने की कोशिशों में होते हैं, उस दौरान जब हिंसा व मारपीट जैसी घटनाओं के साक्षी बनते हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाए, यह समझना उनकी सोच के परे होता है| ऐसी स्थिति में अधिकतर बच्चे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा जब स्कूल में मानसिक तनाव पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया तो बहुत से बच्चों ने घरों में होने वाली घरेलू हिंसा पर खुलकर बात की|

"मेरे माता पिता हर रोज लड़ते हैं| पढ़ाई में भी मन नहीं लग पाता| उस स्थिति में जब होमवर्क नहीं हो पाता, तो स्कूल आकर टीचर हमें सजा के तौर पर अलग खड़ा कर देते हैं|"
"इसके माता पिता अलग हो गए हैं| इसके पिता इसकी मम्मी को पीटते थे|"
(स्कूल में बच्चों से बातचीत के दौरान)

संडे धमाल: रविवार व्यक्तिगत रूप से हम सभी का दिन होता है| अगर कहा जाए कि रविवार कुछ न करने का दिन होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी| खासकर बच्चों के लिए सबसे रचनात्मक, मौज मस्ती का दिन रविवार ही होता है| न सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की जल्दी, और न ही 3 बजे छुट्टी का इंतजार| बेफिक्र होकर अपनी अपनी पसंदीदा जगहों में इकट्ठे होकर कंचे खेलना, बैट बॉल और विकेट का जुगाड़ करना, पिड्डु (जुराब में कपड़ों से भरकर बनने वाली गेंद) खेलना, छुपन छुपाई, खड्डों में जाकर नहाना आदि इसी तरह सारा दिन गुजारना ही बच्चों का रविवार कहलाता है| इसी के आधार पर पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा रविवार संडे धमाल थीम के बैनर तले पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 40 बच्चे सम्मिलित रहे| पीएमवीटी टीम द्वारा बच्चों को पाँच ग्रुपों में बांटा गया और परिचय के पश्चात गेंद के साथ निशानेबाजी की गतिविधि करवाई गई| लोकल गीत गाते हुए एक बच्ची अपने आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को छुपा नहीं पाई| रोते रोते केवल ही बात को बार बार दोहराती रही कि मैं जीवन मैं कभी शादी नहीं करना चाहूँगी| घरेलू हिंसा के कारण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि कभी न मिटने वाले मानसिक घाव हमें उम्र भर के लिए चुप करा देते हैं| समाज अथवा परिवार के लिए गाली गलौच करना, मारपीट करना, भले ही आम बात हो, लेकिन जिस बच्चों का शरीर तथा मसतिष्क अभी विकसित हो ही रहा होता है, उस उम्र में बच्चों का तनाव, डर, अकेलेपन आदि का शिकार होना एक शोचनीय मुद्दा है| कुछ देर के पश्चात पीएमवीटी टीम द्वारा खुले मैदान जैसे खेत में चेन-चेन (बच्चों का पसंदीदा खेल, जिसे हाथ पकड़कर एक साथ खेला जाता है, और अंत में सभी बच्चे एक साथ हाथ पकड़कर अपनी सामूहिक जीत को जगजाहिर करते हैं) खेल खेला गया| इस गतिविधि को करवाने का मुख्य उद्देश्य मानसिक तनाव से अकेले नहीं बल्कि यूं ही एक साथ मिलकर, (चाहे दोस्त हों या ऐसे व्यक्ति जिनके साथ वे सुरक्षित महसूस करते हैं) लड़ा जा सकता है| जब हम अकेले किसी परिस्थिति से जूझते हैं तो स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, वहीं अगर उस परिस्थिति का हम मिलकर सामना करें तो हम मजबूत और सुरक्षित महसूस करते हैं|

"आप दोबारा कब आएंगे|"
"अगली बार हम मिलकर क्रिकेट खेलेंगे|"
"आज तो आपके साथ मज़ा ही आ गया, आप हर संडे आया करो"
(कार्यक्रम के अंत में बच्चों के साथ बातचीत के दौरान)

"पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2023-2024 में बच्चों के साथ किए कार्यक्रम"

क्रं. सं.	पंचायत का नाम	गाँव का नाम	तिथि	कुल संख्या
01.	संसाल	संसाल	21/12/2023	15
02.	भट्टु	लोअर भट्टु	13/01/2024	20
03.	पंजाला	ठठारना	19/01/2024	22
04.	पंतेहड़	ठारु	23/02/2024	13
05.	राजपुर	राजपुर	19/03/2024	13
06.	झिकली भेठ	ढेरन	21/03/2024	10
07.	अवेरी	टंगु	19/09/2024	18
08.	झिकली भेठ	मंडयाल बस्ती	21/09/2024	08
09.	मोलीचक्क	मोलीचक्क	21/09/2024	07
10.	कूकेना	राजकीय प्रथमिक पाठशाला	08/01/2024	28
11.	बनुरी	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय	27/8/2024	247
12.	कंडबाड़ी	संभावना संस्थान	13/04/2024	30
13.	अवेरी	खास अवेरी	06/10/2024	56
				487

मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ट्रॉमा जैसे शब्द सिर्फ संगठन के लिए ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही नए शब्द हैं| अजीब बात है कि बचपन से ही हम इन सभी समस्याओं से कहीं न कहीं जूझते आए हैं, बस हमारे पास इन्हें पहचान देने के लिए कोई शब्द या भाषा नहीं थी| धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है| इसके साथ ही कुछ गैर सरकारी संगठन सरकार के साथ मिलकर इन मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं| चूंकि पीएमवीटी पिछले कई वर्षों से जमीनी स्तर पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम करता आया है और घरेलू हिंसा का सीधे रूप से परिवारों व समाज के प्रत्येक वर्ग खास तौर पर हाशिये पर खड़े समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ संबंध है| इसी आधार पर एक वर्ष में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्राथमिकता से कार्य करने का निर्णय लिया गया| वर्ष भर में घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के बच्चों के साथ संगठन द्वारा गाँव/पंचायत स्तर, शिक्षण संस्थानों आदि में 13 बैठकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 487 बच्चों ने भाग लिया| इन 487 बच्चों में से 40 ऐसे बच्चों की पहचान की गई, जिनके घरों में पारिवारिक अलगाव, हिंसा तथा मारपीट जैसी वारदातें अधिक होती रहती हैं| ऐसी वारदातों के साक्षी जब बच्चे होते हैं तो स्कूल में अधिक समय व्यतीत करना, अकेलापन, किसी से भी अपनी बात साझा न कर पाना, साथी विद्यार्थियों अथवा दोस्तों के मज़ाक का पात्र बनना, डिप्रेशन का शिकार होना उनके लिए कोई नई बात नहीं होती| दोस्ती और रिश्तों पर उनका भरोसा हमेशा के लिए न उठे, तनाव में रहने के बजाए अपनी बात किसी से साझा करने की हिम्मत दोबारा कर पाएँ, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी, तनाव, डर की शिकन नहीं बल्कि सारा समाज उनके हंसी के ठहाकों से गूँजे, इसके लिए संगठन प्रत्येक तरह के प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है|

बचपन से ही हम गाँव में रहे हैं, बड़े हुए हैं, हर छोटी-बड़ी परिस्थिति को करीब से महसूस किया है| यहाँ अधिकतर बच्चों को यही सिखाया जाता है, कि लड़कों के दोस्त केवल लड़के ही हो सकते हैं और लड़कियों की दोस्त केवल लड़कियां| यह पैटर्न स्कूलों में भी देखने को मिलता है| लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करने में हिचकिचाते हैं| समाज ने बहुत ही चालाकी से दोस्ती को भी पितृसत्ता के घेरे में बांध कर रख दिया है| एक ही गाँव में रहने वाले लड़के-लड़कियों में दोस्ती भी केवल बचपन तक ही सीमित रहती है, और उनका आपस में भी भाई- बहन का रिश्ता होता है, जिससे समाज को कोई दिक्कत भी नहीं होती| सिनेमा और टेलिविज़न ने भी काफी हद तक महिला पुरुष के रिश्ते को केवल रोमांटिक प्यार के साथ ही जोड़ने की कोशिश की है| इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को लड़का लड़की का भेद भुलाकर एक दूसरे से दोस्ती करने अथवा बातचीत की शुरुआत का संदेश भी दिया गया|

- ## घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के साथ कार्यक्रम:

आजकल के इस कम्पिटिशन और जल्दबाजी के दौर में स्वयं के लिए समय निकालना सबसे कठिन कार्य है| दुनिया की इस रेस में हम शारीरिक रूप से तो भाग ही रहे हैं, मगर ठहरकर अपनी मानसिक अवस्था का ख्याल करना, दिन-प्रतिदिन शायद भूलते जा रहे हैं| औरतों की यदि बात की जाए तो पीढ़ियों से उन्हें वस्तु की तरह ही उपयोग किया गया है| उन्हें रिवाजों के नाम पर दूसरों की

खुशी का ख्याल रखना, अपने दुख दर्द भुलाकर दूसरों की सेवा करना, एक तथाकथित अच्छी माँ बनना, अच्छी बहु बनना, अच्छी बीवी बनना ही सिखाया गया है| वे क्या काम करेंगी, क्या नहीं यह भी पितृसत्तात्मक समाज ही तय करता आया है| मानसिक तनाव केवल विवाह के पश्चात परिवार में होने वाली हिंसा के कारण ही नहीं बल्कि अधिकतर महिलाएं बचपन से ही बहुत सी हिंसाओं से पीड़ित होती हैं| बेटा-बेटी में अंतर, अपनी मर्जी के कपड़े न पहन पाना, पढ़ाई न कर पाना, मर्जी का प्रोफेशन न चुन पाना, हर समय दुपट्टा सिर तथा तन पर रखना, परिवार द्वारा उनकी बिना मर्जी जाने अनजान व्यक्ति के साथ विवाह करवाना, इज्जत के नाम पर मारपीट सहने तथा समझौता करने पर मजबूर करना इत्यादि इत्यादि| औरतों का हर एक मिनट हर एक सेकंड तनाव और स्वयं के वजूद पर सवाल करने में गुज़रता है| इन सब के बावजूद वे ढाल की तरह मजबूती से हर परिस्थिति का सामना करती हैं| प्यार जैसा एहसास के आधार, जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, इस एहसास को अपनी मर्जी से महसूस करने तक का अधिकार भी औरतों के पास नहीं है| वे उम्र भर उन गलतियों की सजा भुगतती हैं, जो गलतियाँ उन्होंने काभी की ही नहीं| इन्हीं जटिलताओं को समझते हुए पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा समय समय पर मानसिक तनाव को कम करने हेतू सर्वाइवर महिलाओं के साथ कार्यक्रमों का आयोजन जाता है| कार्यक्रमों के आयोजन की कोशिश यही रहती है, कि सर्वाइवर महिलाएं स्वयं को अकेला महसूस न करें| यह सच है कि उनके अमिट घाव और ट्रॉमा हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, लेकिन उन घावों और ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए अथवा उन पर बात करते हुए जब भी उनकी नजरें किसी का साथ ढूंढेंगी तो स्वयं को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगी, इसलिए संगठन उनका हाथ थामे इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहेगा, इसके लिए संगठन वचनबद्ध है| एक वर्ष में संगठन द्वारा समय समय घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के साथ उनके मानसिक तनाव को कम करने हेतू लगभग 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया|

- 'दिन राति कम कमाणे बाद बोलदे ए तेरा घर नी है|' (रात दिन काम करने बाद भी कहते हैं ये तेरा घर नहीं है)
- मारपीट इसलिए सहन करती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अकेली हूँ| अब जीवन में कभी हिंसा सहन नहीं करूंगी| (पीएमवीटी टीम द्वारा कार्यक्रम में आई महिलाओं से पूछा गया कि, जीवन में वे क्या नहीं दोहराना चाहेंगी)

जो लोग ये नहीं समझ पाते कि औरत क्या चीज है
उन्हें पहले ये समझने की जरूरत है कि औरत कोई चीज नहीं है|

"सआदत हसन मंटो"

• महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

एक तरफ जहां थिएटर के माध्यम से महिलाओं ने घरेलू हिंसा तथा अन्य विभिन्न अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, वहीं दूसरी तरफ चीड़ की पत्तियों से रोटी बॉक्स, ब्रेड बॉक्स, ईयरिंग्ज़, कीरिंग्ज़, कोस्टर, वॉल हैंगिंग आदि प्रोडक्टस बनाकर लघु उद्योग के क्षेत्र में मिसाल कायम की है| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा "चलारू" (चीड़ की पत्तियो को पहाड़ी भाषा में अधिकतर चलारू के नाम से जाना जाता है) ब्रैंड के साथ यह कारवां शुरू किया गया| समय समय पर शिक्षण संस्थानों (NIFT कांगड़ा तथा (IICD 'Indian Institute of Craft and Design) राजस्थान) के विद्यार्थियों ने पीएमवीटी में इंटर्नशिप के लिए अपनी इच्छा भी जाहीर की| एक तथा द्विमासिक इंटर्नशिप में विद्यार्थियों द्वारा संगठन में अपनी प्रतिभाओं के जरिए पाइन नीडल की महिलाओं के साथ मिलकर प्रोडक्टस की डिज़ाइनिंग में इनपुट्स देकर चार चाँद भी लगाए गए|

वर्ष भर में महिलाओं द्वारा बनाए गए पाइन नीडल के प्रोडक्टस से हुई कमाई से उनका आर्थिक सशक्तिकरण तो हुआ ही है लेकिन इसके साथ साथ परिवार में उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा के साथ साथ अन्य प्रकार की हिंसा, जैसे मौखिक हिंसा (ताने गाली-गलौच इत्यादि) भी कम हुई है| महिलाओं का कहना है कि जब से उन्होंने यह काम करना शुरू किया है, तब से परिवार में उनके प्रति सम्मान तथा विश्वास मजबूत हुआ है| बाजार में इन प्रोडक्टस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है| हर माह मुनाफे में बढ़ौतरी हो रही है| इसके अलावा संगठन को विभिन्न क्षेत्रों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों, स्कूलों आदि के साथ साथ उत्तराखंड जैसे साथी पहाड़ी राज्यों से उनके क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के निमंत्रण भी मिलने शुरू हो चुके हैं| संगठन की इस सफलता का श्रेय इन महिलाओं की मेहनत, लग्न और जज्बे को जाता है| वर्तमान में बैजनाथ ब्लॉक में पाइन नीडल के प्रोडक्ट बनाने वाली महिलाओं के तीन ग्रुप तैयार हो चुके हैं तथा विभिन्न महिला मंडलों, ग्रुपों आदि की महिलाओं द्वारा संगठन से जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करने की मांग भी की गई|

एक वर्ष में पीएमवीटी द्वारा आयोजित पाइन नीडल प्रोडक्टस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम संख्या	प्रशिक्षण	माह/वर्ष	गाँव/पंचायत	प्रोडक्टस के नाम	सदस्यों की संख्या
1.	डिज़ाइनिंग प्रशिक्षण	मार्च 2024	झिकली भेठ	ओवन बास्केट, रोटी बॉक्स, ब्रेड बॉक्स, त्रिवेट्स, पेन स्टैन्ड, वॉल हैंगिंग, एयरिंगस, किरिंग्स,	12
2 .	बेसिक प्रशिक्षण	जून 2024	भट्टु	कोस्टर, ट्रिवेट, पेन स्टैन्ड, ईयरिंगग्स, किरिंग्स	10
3.	बेसिक प्रशिक्षण	जुलाई	धरेड	कोस्टर, ट्रिवेट, पेन स्टैन्ड, ईयरिंगग्स, किरिंग्स	10
					32

महिलाओं द्वारा बनाए गए पाइन नीडल प्रोडक्टस का प्रति माह ब्यौरा

क्रम संख्या	महीना	महिलाओं से खरीदे गए प्रोडक्टस	बिक्री	मुनाफा
1.	अप्रैल 2024	18,224	26,473	8,249
	मई 2024	12,010	18,423	6,413
	जून 2024	11,460	17,603	6,143
	जुलाई 2024	10,220	20,220	10,000
	अगस्त 2024	10070	24,370	14,300
Total		61, 984	1,07,089	45,105

रश्मि बैजनाथ ब्लॉक के झिकली भेठ पंचायत की स्थाई निवासी है| सिलाई कढ़ाई करना उनके जीवन का पसंदीदा हिस्सा रहा है| चांदी की चेन का सपना लिए रश्मि गाय, भैंस व बकरी के दूध से कमाई राशि को बच्चों की स्कूल की फीस तथा अन्य खर्चों को पूरा करते हुए सपने को हर बार अगले वर्ष पूरा करने पर छोड़ देती हैं| बचे खुचे पैसे को यदि बचाने का यदि उनके मन में ख्याल भी आए तो पति व परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्यों द्वारा कमाई का पूरा हिसाब उनसे मांग

लिया जाता| कुछ समय पश्चात रश्मि को पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से पाइन नीडल से बनाए जाने वाले प्रोडक्टस की ट्रेनिंग की जानकारी मिली| पंचायत की अन्य महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण में भाग लेने की रुचि को देखते हुए रश्मि ने भी अपना नाम भी दर्ज करवाया| ट्रेनिंग के दौरान परिवार द्वारा उनके काम को घास फूस और बेकार वक्त बर्बाद करने की संज्ञा दी गई| रश्मि का विश्वास इन सब तानों से डगमगाया नहीं और प्रोडक्टस बनाना शुरू किया| पीएमवीटी के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में एक विशेष स्थान तथा पहचान बनाने में रश्मि को सफलता हासिल हुई| परिवार के "घास-फूस और वक्त बर्बाद करने" जैसे तानों ने अब सम्मान का स्थान ले लिया| वर्तमान में रश्मि पीएमवीटी की सदस्य होने के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्टस की बाजार में मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा आत्मविश्वास के साथ वह आज सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रही हैं|

- "अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपने लिए चांदी की चेन खरीद ली है और अब परिवार को हर छोटे बड़े खर्चे का हिसाब भी नहीं देना पड़ता|"

- "जब मैंने यह काम शुरू किया तो मेरे पति बोलते थे ये भी कोई काम होता है, सारा सारा दिन टाइम पास करती है और अब जब पैसा आने लगा तो कहते हैं मुझे भी सिखा दे ये काम, और तो और अब मेरे काम को काम समझने लगे हैं|"

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:de9117b1-69f9-422b-ae06-51fdabd4b731

(पाइन नीडल प्रोडक्टस पर बनाई गई ppt रिपोर्ट संलगित की गई है)

कोर टीम का विभिन्न विभागों व् संस्थानों **के कार्यक्रमों मे सम्मिलित होना**

क्रं.सं.	एक्सपोजर/कार्यक्रम का नाम	एक्सपोजर पर गए साथियों के नाम	दिनों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग	बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान	01
2.	अधिवक्ताओं के साथ बैठक	बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान	01
3.	जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ बैठक	बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान	01
4.	बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक	बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान	01
5.	एससी/एसटी सब-प्लान पर बैठक (दिल्ली)	बिमला विश्वप्रेमी, शालिनी चौहान	01
6.	वन अधिकार नियम पर पैनल चर्चा (दिल्ली)	बिमला विश्वप्रेमी	02
7.	कबीर यात्रा (कच्छ-गुजरात)	बिमला विश्वप्रेमी	07
8.	बाल सुधार व महिला स्वधार गृह विजिट (मंडी, काँगड़ा हिमाचल प्रदेश)	सीमा अवस्थी, नानकी भाद्वाज	02
9.	वन अधिकार कानून के माध्यम से महिला भूमि अधिकारों की सुरक्षा	शालिनी चौहान, मधु देवी	03
10.	संविधान दिवस (बिलासपुर)	पीएमवीटी कोर टीम तथा महिला मंडलों की महिला साथी	01
11.	पैरालीगल वॉलंटियर्ज़ के साथ	बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान	02
12.	भेदभावमुक्त शैक्षणिक संस्थानों की दिशा में राष्ट्रीय सम्मेलन (लखनऊ)	बिमला विश्वप्रेमी	04
13.	अधिवक्ताओं के साथ बैठक	नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान	02
14.	फॅमिली कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ बैठक	नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी	01
15.	पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डरोह	नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी	01
16.	हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा दिल्ली में एससी/एसटी सब प्लान पर बैठकें	पीएमवीटी टीम	
17.	सुख चैना दे धयाडे	सीमा अवस्थी, नानकी भारद्वाज, शालिनी चौहान तथा इन्टर्न साथी	10
18.	हिमाचल क्वीर फाउंडेशन के साथ	पीएमवीटी टीम	01

	एक दिवसीय ओरिएन्टेशन		
19.	**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग**	**बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान**	**01**
20.	**जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ**	**बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान**	**01**
21.	**बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक**	**बिमला विश्वप्रेमी, नानकी भारद्वाज, सीमा अवस्थी, शालिनी चौहान**	**01**
22.	**वन अधिकार अधिनियम पर पैनल चर्चा**	**बिमला विश्वप्रेमी**	**03**
23.	**राष्ट्रीय दलित विमर्श, चुनौती एवं संभावनाएं**	**नानकी भारद्वाज**	**04**
24.	**कबीर यात्रा**	**बिमला विश्वप्रेमी**	**01**
25.	**विभिन्न जिलों में बाल सुधार व महिला स्वधार गृह विजिट**	**नानकी भारद्वाज**	**01**
26.	**राज्य स्तरीय युवा मीट**	**धर्मशाला**	01
27.	**जातिगत भेदभाव व पितृसत्ता पर आधारित पाँच दिवसीय कार्यक्रम**	**पीएमवीटी टीम**	**05**
28.	**वन अधिकार कानून के माध्यम से महिला भूमि अधिकारों की सुरक्षा**	**मधू देवी, शालिनी चौहान**	**01**
29.	**संविधान दिवस**	**पीएमवीटी टीम**	
30.	**सावित्री बाई फुले जयंती**	**पीएमवीटी टीम**	**01**
31.	POSH **अधिनियम 2013 पर आधारित एक दिवसीय ओरिएन्टेशन (हमीरपुर)**	**पीएमवीटी टीम**	**01**
32.	**डॉ। भीमराव अंबेडकर जयंती**	**पीएमवीटी टीम**	**01**
33.	**अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**	**पीएमवीटी टीम तथा साथी संगठन**	**01**

लीगल रिसोर्स सेंटर

केसवर्क

लीगल रिसोर्स सेंटर में घरेलु हिंसा से पीड़ित महिला को अपनेपन तथा सुरक्षा का माहौल तैयार करना, मीडिएशन के जरिए हिंसा से जुड़े केस की जांच परख करना तथा मामले को सुलझाने की ओर ले जाना **पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट** का मुख्य उद्देश्य है| **'ट्रस्ट'** अपनी जागरूकता व् विस्तार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में गाँव स्तर पर व्यक्तिगत बातचीत, पंचायत घर, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, विभिन्न स्कूलों की युवतियों के समूहों, बच्चों को हिंसा से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक कर रहा है तथा कुछ हद तक सफल भी हुआ है| **'ट्रस्ट'** की हर प्रकार से यह कोशिश रहती है कि बड़े स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेटवर्क बने जहाँ हाशिये पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों तक हिंसा से जुड़े इन मुद्दों को ले जाया जा सके|

अभी तक लीगल रिसोर्स सेंटर में हिंसा के आए कुल मामले

क्र.सं.	ट्रस्ट में अब तक आये DV के कुल मामले	पीड़ित महिलाओं के आए DV के कुल मामले	हिंसा से पीड़ित पुरुषों के कुल मामले	टेलीफोन के ज़रिये आये घरेलू हिंसा के मामले	SC	ST	OBC	GEN	ट्रस्ट द्वारा सुलझाए गए मामले	कोर्ट द्वारा सुलझाए मामले	प्रोसेस में चल रहे मामले	कुल निलम्बित मामले
कुल मामले	125	72	20	33	77	18	19	11	63	11	29	22

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अपनी बात बिना हिचकिचाहट व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित, दोस्ताना और अपनेपन का माहौल प्रदान करता है| संगठन में आने वाली महिलाओं की बात सुनने के लिए संगठन में समय की कोई पाबन्दी नहीं होती, वे जितनी भी देर चाहे अपनी बात साथियों से साझा कर सकती है| बातचीत के पश्चात पीड़िता हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लिखित रूप में एक एप्लीकेशन कार्यालय में देकर मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने में सहमति देती है| गहन अध्ययन तथा जांच पड़ताल करने के बाद मामले की पेचीदगियों को गंभीरता से समझा जाता है|

पीड़िता की स्थिति और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छानुसार ट्रस्ट की ओर से आगे की कार्यवाही की तरफ बढ़ा जाता है| पीड़ित महिला के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ट्रस्ट के साथी द्वारा महिला की काउंसलिंग की जाती है| उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है| मध्यस्तता की तरफ बढ़ते हुए पीड़ित महिला के नेतृत्व में सम्बंधित पक्षों को बुलाकर बातचीत की जाती है तथा इससे बाद ट्रस्ट की पहली कोशिश दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर स्थिति के मुताबिक़ व्यक्तिगत समझौता करवाने की होती है| लेकिन यदि दोनों पक्षों में बात समझौते तक नहीं पहुँच पाती, तो उन्हें क़ानूनी कार्यवाही की तरफ बढ़ने की सलाह दी जाती है| ट्रस्ट के नेतृत्व में, मामलों का फोलोअप करने के साथ-साथ पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण तथा एक्सपोज़र का आयोजन किया जाता है|

ट्रस्ट के साथ जुड़ने से ज़ाहिर है कि महिलाएं हिंसा तथा भेदभाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं तथा वर्षों पुराने तथाकथित पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दे रही हैं| कार्यालय में लिखित एप्पलीकेशन देना तथा अपना दुख साझा कर पाना इसका जीत जागता गवाह है| महिलाओं का हिंसा के खिलाफ हिम्मत के साथ खड़े होने और ट्रस्ट पर वर्षों से इसी तरह विश्वास जताने से प्रेरित होकर **पीएमवीटी** अधिक मजबूती के साथ एक हिंसामुक्त और भेदभावमुक्त समाज का सपना पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है|

घरेलू हिंसा मामलों में अभी तक किए गए कार्य

(1) अभी तक ट्रस्ट के कार्यालय में आए कुल 125 मामलों में से 63 मामले सुलझाए गए| कार्यालय में आने वाले पीड़ितों की समय समय पर काउंसलिंग की गई| महिलाओं ने या तो ससुराल में रहकर अपने हक अधिकारों के पक्ष में लड़ाई लड़ी या फिर क़ानूनी सलाह से फिर से नये जीवन की शुरुआत करने का

फैसला लिया| ट्रस्ट के साथियों द्वारा मामलों की निष्पक्ष जांच-पड़ताल के लिए दोनों पक्षों के पड़ोसियों, रिश्तेदारों व पंचायत प्रतिनिधियों से मिलकर जानकारी ली गई| लगभग दो या तीन महीने अलग रहने के बाद ही सोच समझकर महिलाएं ससुराल वापिस जाने के लिए सहमत हुई| ट्रस्ट का मकसद यही रहता है कि छोटे-छोटे मसले आपसी बातचीत से ही हल हो जाएं| परन्तु यदि मामला संगीन हो और हिंसा से जुड़ा हो तो पीड़ित के निर्णय को अंतिम मानकर ही कार्यवाही की जाती है|

(2) घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं की समय समय पर ओरिएंटेशन की गई| उन्हें एक सौहार्दपूर्ण व सुरक्षित माहौल देने में संगठन काफी हद तक सफल हो पाया है| सर्वाइवर महिलाओं ने ट्रस्ट के साथ विडियो के माध्यम से साझा करने में सहमती देते हुए अपनी कहानी बेधड़क साझा की, उनकी हिम्मत को संगठन सलाम करता है| इसके साथ ही तीन सर्वाइवर महिला साथियों को पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई| इसके साथ ही संगठन द्वारा उनके कार्यालय तक आने तथा वापिस घर जाने तक यात्रा भत्ते का प्रावधान भी किया गया|

(3) यह सत्य है कि पारिवारिक संपत्ति में कानूनन अधिकार मिलने के पश्चात भी सामाजिक रूढ़िवादिता, सामंतवादी तथा पितृसत्तात्मक सोच के कारण आज भी महिलाएं इस अधिकार से वंचित हैं| महिलाएं यदि मारपीट व हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर जब न्यायालय की दहलीज लांघने का विचार करती भी हैं तो वकील की फीस तथा अन्य प्रकार के खर्चों के बारे में सोचकर, दोबारा हालातों से समझौता करने पर मजबूर होती हैं| महिलाएं हिंसा की लड़ाई में स्वयं को अकेला महसूस न करें तथा हालातों से समझौता करने पर मजबूर न हों, इस बात को ध्यान में रखकर पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा पाँच महिलाओं के वकीलों की फीस का प्रावधान भी किया गया|

फॉलो-अप तथा फ़ैक्ट-फाइन्डिंग

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट यह समझ रखता है कि महिलाओं पर होने वाली प्रत्येक प्रकार की हिंसा के पीछे समाज की पितृसत्तात्मक, सामंतवादी तथा जातिवादी सोच का सबसे बड़ा हाथ है| पीड़ित महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चों को जीवन भर ट्रॉमा के बोझ को मजबूरन ढोना पड़ता है| इसी समझ के आधार पर ट्रस्ट में अभी तक आए सभी मामलों में प्राथमिकता से समय समय पर व्यक्तिगत व टेलीफोन के जरिए फॉलोअप किया गया| इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच हेतू पीड़ित के ससुराल, मायके पक्ष, आस पड़ोस तथा पंचायत में हस्तक्षेप कर गहनता से छानबीन की गई| घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित को केवल शारीरिक तथा मानसिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता बल्कि अधिकतर मामलों में महिलाएं आर्थिक तंगी से का सामना भी करती हैं| शर्म की बात है कि विवाह के समय जिन कसमों-वादों का जो समाज साक्षी बनता है, उस परिवार में जब घरेलू हिंसा, हत्या जैसी संगीन वारदातें होती हैं, तो यही तथाकथित समाज चुपचाप उन कसमों वादों को लोगों द्वारा तोड़ते हुए मूकदर्शक की भूमिका निभाता नजर आता है|

मामले में फ़ैक्ट-फाइन्डिंग तथा फॉलो-अप करने का तरीका

न्याय सुविधा केंद्र में जब पीड़ित लिखित एप्पलीकेशन देकर मामले में हस्तक्षेप कर, कार्यवाही करने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले टीम के साथियों द्वारा फ़ैक्ट फाइन्डिंग की तरफ बढ़ा जाता है| महिला की स्थिति को ध्यान में रखकर हिंसा के स्वरूपों (मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तथा यौनिक हिंसा) को समझते हुए अस्थाई रूप से आर्थिक सहयोग किया जाता है| | फ़ैक्ट-फाइन्डिंग के लिए सबसे पहले

संबंधित पंचायत में व्यक्तिगत रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को मामले के बारे में चर्चा-परिचर्चा की जाती है| मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत के प्रबुद्ध सदस्यों तथा पुलिस के साथ मिलकर परिवार में हस्तक्षेप किया जाता है| आस पड़ोस के लोगों से मामले की पूरी जानकारी ली जाती है| इसके साथ ही मामले की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए दूसरे पक्ष के साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है| तीन से चार बार मीडिएशन के जरिए पीड़ित के साथ सेशन किए जाते हैं| पीड़ित की रजामंदी के पश्चात दूसरे पक्ष को कार्यालय में बुलाया जाता है तथा उनके साथ भी तीन से चार बार सेशन किए जाते हैं| दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाता है| पीड़ित के निर्णय को अंतिम मानते हुए या तो आपसी मनमुटावों को भुलाकर दोनों पक्षों द्वारा जीवन की दोबारा शुरुआत की जाती है या फिर ससुराल से अलग होकर पीड़ित द्वारा ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया जाता है|

फॉलो-अप

- निर्णय होने के पश्चात पीड़ित के साथ समय समय पर टेलीफोन के जरिए व व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लेना|
- संबंधित महिला मण्डल व पंचायत प्रतिनिधि से बात करके फॉलो अप लेना|
- समय -2 पर बैठकों, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से पीड़ित के जीवन में आए बदलावों की जानकारी लेना|
- परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति को जानने समझने का प्रयास करना|
- पीड़ित के साथ फॉलो अप के जरिए तब तक जुड़े रहना, जब तक वे आर्थिक व मानसिक रूप से स्वयं को सक्षम न महसूस करें|

ऐसी ही एक दास्तान, फ़ैक्ट-फाइन्डिंग के दौरान

- जिला कांगड़ा के थुरल क्षेत्र में पीएमवीटी द्वारा पीड़ित की लिखित एप्पलीकेशन देने तथा गहनता से मामले की छानबीन के पश्चात पीड़ित की पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति संगठन के लिए पीड़ित की स्थिति बेहद हैरान करने वाली थी| टीम के साथियों ने जब उनके ससुराल जाकर पारिवारिक हालत देखकर पाया गया कि हैवानियत इतनी बढ़ गई कि पति द्वारा कमरे का दरवाजा तोड़ने के साथ साथ, पीड़ित के कपड़े फाड़ दिए गए, बर्तन तोड़ दिए तथा जमा किए गए राशन को फेंक कर दो वक्त के भोजन से भी वंचित कर दिया गया| पीड़ित द्वारा एप्पलीकेशन के माध्यम से संगठन से आर्थिक सहयोग करने का अनुरोध किया गया, जिसके पश्चात उन्हें बेसिक जरूरतों को पूरा करने हेतू टेम्परारी अर्थात अस्थाई रूप से आर्थिक सहयोग दिया गया| इसके साथ ही जहां वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करे (पंचायत, मायका, दोस्त या अन्य कोई भी सुरक्षित स्थान), किसी ऐसे स्थान पर रहने की सलाह दी| हालत संतुलित होने की स्थिति में जल्द ही मामले की अगली कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा|

सुख चैना दे ध्याड़े

“सुख चैना दे ध्याडे

एक वर्ष पहले जब कार्यालय में बैठकर सर्वाइवर महिलाओं के बारे में सभी साथी चर्चा परिचर्चा कर रहे थे तो एक साधारण इंसान के नजरिए से उनके बारे में सोचते हुए हम अपने सुख और चैन के दिनों को याद करने और स्वयं को खुशकिस्मत मानते हुए उन यादों में बस खो से गए थे| तभी अचानक से सभी साथियों को ख्याल ये आया कि हम स्वयं को उनसे अलग करके क्यूँ देखें, क्यों न उनके सुख चैन के दिनों और यादों को भी समझने का प्रयास किया जाए| यही कहते हुए उन महिलाओं के जीवन में ससुराल वापिस जाकर या ससुराल से अलग होकर एक नई शुरुआत करने के पश्चात आए बदलावों को जानने समझने तथा ऑबज़र्व करने का यह एक तरीका या यूं कहें उन्हें दोबारा संगठन का साथ ढूंढते हुए किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट न हो, इसलिए उनके साथ जुड़े रहने का एक तरीका हो सकता है|

एक वर्ष में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के साथी लगभग 10 सर्वाइवर महिलाओं के परिवारों में व्यक्तिगत रूप से जाकर मिले| एक घर जहां उन्होंने एक समय में ऐसी घटनाओं को स्वयं के साथ घटते हुए देखा और संगठन के साथ जुडने के बाद उसी घर में रहते हुए उनके जीवन क्या बदलाव आए, परिवार से अलग होकर भी आज भी जब हिंसा के खौफनाक मंज़र को उनकी आँखों के सामने ताँव करता होगा तो उस समय कहीं वे स्वयं को अकेला तो महसूस नहीं करती, यह जानने समझने तथा इस परिस्थिति में उनका साथ देने में “सुख चैन दे धयाडे” एक बेहद मजबूत माध्यम बना| “सुख चैना दे ध्याडे” के माध्यम से संगठन में आए इन्टर्न साथियों द्वारा इन सर्वाइवर महिलाओं के जीवन के सफर पर आधारित एक डाक्यूमेंट्री भी बनाई गई|

- “उस दिन तो मैंने मर ही जाना ही जाणा था, इतना मारा था मुझे मेरे पति ने”
- “मेरे जीवन में दो ही लोगों का मैं हमेशा धन्यवाद करूंगी, एक अपनी माँ का और एक पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट वालों का”
- “जैसा मेरे साथ हुआ है, भगवान करे किसी औरत के साथ इतना बुरा कभी भी न हो”
- “पहले तो ऐसा ही लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जब पीएमवीटी की मीटिंगों और कार्यक्रमों में जाकर दूसरी महिलाओं को अपनी कहानी बताते हुए सुना, तो थोड़ा हौंसला आया कि मैं अकेली नहीं हु|”

(हिंसा के मंजरों को याद करते हुए सर्वाइवर महिलाएं)

सफल कहानी

कहते हैं कि झूठ और फरेब कितना ही शोर मचा ले, एक न एक दिन सच्चाई की जीत होकर ही रहती है| डॉ. भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी महान हस्तियों के कारण महिलाएं आज शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं, तथा न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने हक-अधिकारों की बात कर रही हैं| पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर स्कूल/कॉलेज की प्रिंसिपल तथा बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओ तक महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है| हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी क्षेत्र जिसे तथाकथित समाज द्वारा शांत, हिंसा/भेदभावमुक्त राज्य की संज्ञा दी जाती है, उसी शांत हिंसा/भेदभावमुक्त राज्य के जिला कांगड़ा में घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले देखने को मिलते हैं|

प्रियांशी ने समाज के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया| पति और दो बेटियों के साथ एक सुखी परिवार की तरह जीवन यापन कर रही प्रियांशी के जीवन में एक दिन इतना अंधेरा छा जाएगा, ये उसने काभी सपने में भी नहीं सोचा था| कितनी अजीब बात है कि समाज महिलाओं को महिलाओं का दुश्मन कहता नहीं थकता, लेकिन जब संपत्ति और संपन्नता के लालच में भाई ही भाई की जान ले लेता है तो यही तथाकथित समाज चुप्पी साधे तमाशा देखता रहता है| प्रियांशी के जेठ द्वारा उसके पति की बिजनस में सफलता देखी नहीं गई और नशे की दवाईयां खिलाकर कब उसकी जान लेने के पश्चात सम्पूर्ण बिजनस पर कब्जा कर लिया| उसकी हैवानियत यहाँ तक बढ़ गई कि पूरे परिवार ने प्रियांशी को दोनों बेटियों के साथ बेघर कर दिया| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट में जब लिखित रूप से एप्पलीकेशन लेकर आई, तो संगठन द्वारा उसे सुरक्षित माहौल दिया गया| दो से तीन बार मीडिएशन व बातचीत तथा छानबीन के पश्चात उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी गई| इसके साथ ही संगठन द्वारा प्राथमिकता से समय समय पर वकील से मामले का फॉलोअप लिया गया| पीड़ित के साथ न्यायालय जाकर मामले की कार्यवाही का जायजा लिया गया| मामले में आने वाले आर्थिक खर्च हेतू समय समय पर पीड़ित का सहयोग किया गया|

देर से ही मगर लाख कोशिशों के पश्चात फैसला प्रियांशी के हक में आ ही गया| | पति द्वारा स्थापित बिजनस में उन्हें हिस्सा मिला तथा पिछले दो सालों में उन्हें उस बिजनस का जितना हिस्सा मिलना चाहिए था, उनके जेठ द्वारा उसका हिस्सा भी देना पड़ेगा|

वर्तमान में प्रियांशी एक मजबूत तथा सशक्त महिला हैं तथा पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट की जुझारू सदस्य हैं| पीएमवीटी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है|

सफल कहानी

वर्ष 2002 में कमला (नाम बदल दिया गया है) का विवाह सम्पन्न परिवार में हुआ| विवाह के कुछ समय पश्चात ही पति द्वारा दहेज की मांग की गई| दिन प्रतिदिन हालात इतने खराब होते चले गए कि मौखिक रूप से पैसों की मांग कब मारपीट में बदल गई, पता ही नहीं चला| पति द्वारा घर से निकाल देने के पश्चात, मायके आकर उनको अपने गर्भवती होने का पता चला| गर्भावस्था के दौरान तथा दो बेटियों के पैदा होने तक पति द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से वंचित रखा गया| एक पिता होने की जिम्मेदारी निभाने के बजाए पीडिता को बेटियाँ पैदा करने तथा वंश का चिराग न देने के ताने सुनाए गए| लगभग 18 साल तक अपने साथ साथ बेटियों का पालन पोषण उन्होंने मायके में रहकर

किया| एक दिन उन्होंने पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट की गाँव स्तरीय बैठक में सम्मिलित होकर घरेलू हिंसा कानून के बारे में सुना| कुछ दिन पश्चात हिम्मत करके पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट कार्यालय जाकर लिखित एप्पलीकेशन देकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया| पीएमवीटी टीम द्वारा उन्हें अपनापन तथा सुरक्षित माहौल दिया गया| काउन्सलिंग/मीडिएशन के जरिए लगभग तीन से चार बार उनके ऊपर हुए अत्याचारों की व्यथा को सुना गया| गहन छानबीन तथा फ़ैक्ट फाइन्डिंग के बाद पीड़िता की रजामंदी के साथ दूसरे पक्ष को सुना गया| अंत में दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर तथा आपसी शिकायतों पर बातचीत करने के पश्चात पति द्वारा कमला के साथ जीवन में कभी हिंसा न करने का आश्वासन लिखित रूप में देकर एक आखिरी मौका देने का अनुरोध किया गया| पीडिता ने सूझबूझ से आपसी मतभेदों को भुला कर तथा बच्चों से उनका बचपन छीनने तथा पिता की जिम्मेदारी न निभाने पर उनसे भी माफी मांगने की शर्त के साथ उन्हें एक आखिरी मौका देकर जीवन की फिर से शुरुआत करने का निर्णय लिया|

वर्तमान में कमला पीएमवीटी की सदस्य होने के साथ साथ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रही हैं| संगठन द्वारा समय समय पर टेलीफोन के माध्यम से फॉलो-अप भी किया जाता है|

स्टेकहोल्डर्स की भूमिका :- बीते वर्षों से पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट 'पर्वतीय महिला अधिकार मंच' के माध्यम से जमीनी स्तर के महिला संगठनों से लेकर विभिन्न संस्थानों, विभागों के साथ कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन कर प्रत्येक स्तर पर लोगों तक विभिन्न सामाजिक मुद्दों को ले जाने में एक कदम सफल रहे| यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना इन सभी स्टेकहोल्डर्स के शायद ही यह मुमकिन हो पाता| उन्हीं के सहयोग ने संगठन के मजबूतीकरण और विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई| उनके मार्गदर्शन व सहयोग से ही समय समय पर कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं के माध्यम से सकारात्मक विचारों का आदान-प्रदान सक्रिय रूप से होता है| पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों के सफल आयोजन में विभिन्न सरकारी विभागों, महिला मंडलों/स्वयं सहायता समूहों, साथी संगठनों, प्रोफेसर, शोधार्थियों आदि स्टेकहोल्डर्ज का अहम योगदान रहा|

"हमारे स्टेकहोल्डर्ज"

क्रं. सं.	संगठन / विभाग	स्टेकहोल्डर
01.	स्वयं सहायता समूह	प्रधान सचिव व प्रोऐक्टिव मेम्बर
02.	महिला मण्डल	प्रधान सचिव व प्रोऐक्टिव मेम्बर
03.	पंचायत प्रतिनिधि	पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य
04.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	ICDS (एकीकृत बाल विकास योजना)
05.	आशा वर्कर	ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता)
06.	खंड विकास अधिकारी	BDO (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर)
07.	पंचायत इंसपैक्टर	PI (पंचायत इंसपैक्टर)
08.	उप मण्डल स्तर पर	SDM (सब-डीवीजनल मजिस्ट्रेट)

09.	उप मण्डल स्तर पर	PO (प्रोटक्षन ऑफिसर)
10.	उप मण्डल स्तर पर	CDPO बाल विकास परियोजना अधिकारी
11.	जिला स्तर पर	DPO (जिला परियोजना अधिकारी)
12.	जीला स्तर पर	DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	DEO (जिला शिक्षा आधिकारी)
14.	स्कूल, कॉलेज, ITI	अध्यापक, प्रिंसिपल, प्रोफ़ेसर, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान
15.	ब्लॉकस्तर	PLV (पैरा लीगल वॉलन्टीर)
16.	थाना	SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस प्रींसीक्ट)
17.	उप मण्डल स्तर	DSP (डिप्टी सूपरिन्टेन्डन्ट ऑफ पुलिस)
18.	जिला स्तर	DC (डिप्टी कमिशनर)

हमारी उपलब्धियां

- थिएटर के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1016 लोगों तक घरेलू हिंसा तथा अन्य सामाजिक मुद्दों को ले जाने में संगठन सफल रहा| इन्हीं प्रस्तुतियों के आधार पर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की थिएटर पर ही आधारित "जेन्डर बेन्डर" प्रोजेक्ट हेतू जॉइन्ट प्रपोज़ल तैयार कर, "कहानी की दुकान फाउंडेशन" के साथ मिलकर काम करने, संगठन का विस्तार तथा जातिगत व जेन्डर भेदभाव जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मौका भी मिला|
- संबंधित विभागों, पंचायतों तथा शिक्षण संस्थानो के साथ सांगठनिक विस्तार तथा मजबूतीकरण में सहयोग मिला|
- समय समय पर स्कूलों, गांवों/पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, बैठकों आदि के आयोजन के पश्चात घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के बच्चों के मानसिक तनाव को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 बच्चों की पहचान की गई|
- स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार आयोजित बैठकों, कार्यक्रमों आदि के जरिए उनके साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिला|
- पाइन नीडल के प्रोडक्टस बनाने वाली महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ पारिवारिक व सामाजिक सम्मान तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लगभग 32 महिलाएं अपना पैर जमाने में सफल भी रहीं|
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून, घरेलू हिंसा कानून, डिजिटल सिक्युरिटी ट्रेनिंग, क्षमतावर्धन निर्माण आदि पर आयोजित कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण पीएमवीटी टीम जागरूक तथा सशक्त हुई|
- मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य के साथ घरेलू हिंसा सर्वाइवर महिलाओं के साथ आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं ने जीवन में हिंसा दोबारा कभी सहन न करने का वादा करते

हुए इसी तरह इन सामाजिक मुद्दों के खिलाफ यूं खड़े होकर लड़ने के लिए संगठन का हौंसला बढ़ाया|

- **सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित ड्रग अब्यूज़ पर आधारित राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट ने प्राथमिक रूप से भूमिका निभाई गई| पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के साथ ड्रग अब्यूज़ पर 40 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर सदस्यों में से पीएमवीटी कोर टीम की साथी का मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन हुआ|**

https://drive.google.com/file/d/1UWGV-1qVytNCr1NO7PKB9MUgBoUgQMvd/view
(थिएटर प्रोग्राम पर आधारित बनाई गई डाक्यूमेंट्री का लिंक संलगित कर दिया गया है)
{नोट: डाक्यूमेंट्री में थोड़े बदलाव तथा क्लिप्स एड करना बाकी है}

https://drive.google.com/file/d/1Yz3UNO2PN5Z5-B4_4cpjBT5OMxi1A7rW/view?ts=6623a019) **(सुख चैना दे ध्याडे के माध्यम से सर्वाइवर महिलाओं के जीवन पर बनाई गई डाक्यूमेंट्री का लिंक संलगित किया गया है)**

हमारी आवाज़

एक वर्ष की खट्टी मीठी यादों को सँजोकर एक बक्से को बंद करने के बाद, उस दहलीज को अभी पार कर ही रहे थे कि दूसरे वर्ष का ताना बाना ढोकल खंजरी लेकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया| चंबा के खजियार जैसी खूबसूरत वादियों से होकर, पंचायतों, शिक्षण संस्थानों, संबंधित विभागों के साथ कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों तथा अन्य साथी संगठनों को जानते समझते हुए अब हम दूसरे साल के आखिर में पहुँच गए हैं| हर दिन जब भी हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो वर्ष भर में संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं इत्यादि के जरिए मिले लोगों के व्यवहार, सोचने समझने का नजरिया, समाज से एक कदम आगे होकर भी लोगों का घासनियों,पहाड़ों और जाति व्यवस्था की जटिलताओं पर उनके साथ गहन चर्चा करते हुए कई बार एक दिन तो कई बार 4 5 दिन की मुलाकात के बाद हम हर अगले काम की तरफ बढ़ते चले गए| लेकिन उन्हीं संस्थानों, पंचायतों से जब टेलीफोन पर तथा भरी महफ़िल में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए सुनते हैं तो लगता है जैसे समाज के बंधनों, जातिगत तथा जेन्डर भेदभाव जैसी इतनी जटिलताएं होने के बावजूद इन मुद्दों पर लोग बातचीत करने लगे हैं, ये खुद में नहीं कितना बदलावकारी है| सामंतवादी व्यवस्था में गुजर बसर करते हुए आज भी दुनिया का सबसे प्रगतिशील हिस्सा औरतें ही हैं| एक ग्राउन्ड में 500 महिलाओं का इकठे होकर अपनी अपनी प्रतिभाओं को जगजाहिर करना, सच में कई बार सपने जैसा महसूस होता है| शायद इस वाक्य का जिक्र बार बार हो, लेकिन यह वाक्य हर बार इस बात का साक्षी रहेगा कि समाज चाहे औरतों को औरतों का जितना भी दुश्मन बनाने पर तुला रहे, लेकिन सच्चाई से कभी मुंह नहीं फेर सकता| एक सर्वाइवर महिला जिसे ससुराल द्वारा पूरी तरह जला कर उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की गई,

उसने मंच पर आकर बेफिक्र और बेखौफ होकर 500 लोगों के बीच बोलने की हिम्मत दिखाई| इससे बड़ी सफलता किसी के लिए भला और क्या हो सकती है| जो समाज महिलाओं को जाहिल- गवार और उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लायक नहीं समझता, उन्हीं महिलाओं ने अपने घावों, हिंसाओं की कहानियों, कठिन परिस्थितियों, भावनाओं, भेदभावों, अत्याचारों को बिना घुमाए-फिराए बहुत ही सरलता से समाज को असलियत का आईना दिखाया, जो एक आम इंसान के लिए बेहद ही मुश्किल काम है| थिएटर प्रशिक्षण के माध्यम से एक तरफ अधिकतर लोग भावुक होने से खुद को न रोक पाए तो एक तरफ उन्होंने हिंसामुक्त/छुआछूत मुक्त समाज बनाने का प्रण भी लिया| थिएटर के माध्यम से पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट लगभग 1016 लोगों तक अपनी पहुँच बनाने तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत करने में सफल रहा| इसके साथ ही यह भी सच है कि एक तरफ संगठन के इस प्रयास को एक पक्ष ने सराहा परंतु एक पक्ष वो भी है जिसने इन मुद्दों से मुंह फेरने की भरपूर कोशिश की| कोई भी प्रयास एक बार में ही सफल हो जाए, कभी कभी मुमकिन नहीं होता, खासकर जिस प्रयास की बागडोर औरतों या यूं कहें अधिकतर दलित औरतों के हाथ में हो| इसी आधार पर पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट हर पक्ष की सोच का सम्मान करते हुए उनके सुझावों तथा चर्चा-परिचर्चाओं हेतू उनका स्वागत करता है| एक वर्ष में जमीनी स्तर पर गाँव स्तरीय बैठकों, मोबलाईजेशन एवं ऑर्गेनाईजेशन बैठकों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लगभग 5721 लोगों ने संगठन के प्रति अपना विश्वास जताया है| संगठन यह समझ रखता है कि उपलब्धियों के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ और असफलताएँ भी हमारे साथ हमेशा चलती रहती हैं जिनसे सीखकर हम और भी बेहतरी और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं| पीएमवीटी यह स्वीकार करता है कि जहां एक तरफ संगठन के कार्यों को सराहा गया, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जहां संगठन पहचान बनाने में कामयाब रहा तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों तक हमारा पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया| जिसके लिए संगठन आने वाले समय में सकारात्मक सोच तथा मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा| बराबरी, हिंसामुक्त तथा भेदभावमुक्त समाज की स्थापना हो, इसके लिए हर प्रकार के प्रयासों के लिए संगठन हमेशा की तरह हमेशा के लिए वचनबद्ध है|

चेयरपर्सन के नजरीय से -

इस वर्ष कार्य को करते हुए ये महसूस किया गया कि बात महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की नहीं है पूर्ण रूप से एक परिवार की मानसिक स्थिति में सुधार लाने की है। हम तो मुद्दों को पहचानने का एक माध्यम हैं। हमें सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भी सक्रिय बनाने का कार्य सामुदायिक सक्रिय महिलाओं के माध्यम से करना है। इस वर्ष सामाजिक आधिकारित विभाग की तरफ से पूरे साल भर में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी रखना और कार्यक्रमों में शामिल होकर पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट को उनकी कार्ययोजना की पलनिग का हिस्सा बनाना भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। थिएटेर कार्यक्रम के माध्यम से पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट को एक पहचान मिली है हम यहाँ बताना चाहते हैं कि थियेटर का माध्यम हमारे लिए,

नारीवादी कहानी कहने का यह तरीका, थिएटर और शरीर की अभिव्यक्ति के माध्यम से, पितृसत्ता, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को चुनौती देने का एक प्रभावशाली साधन है। यह केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि **भावनाओं को जीने और साझा करने** का माध्यम है, जिससे दर्शक पीढ़ियों से चले आ रहे उत्पीड़न को महसूस कर सकें और उसके खिलाफ जागरूक हो सकें।

हमारा उद्देश्य **गांव के चौपालों, सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों** को पितृसत्ता से मुक्त कर एक ऐसा मंच बनाना है, जहां संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानियां केंद्र में हों। यह केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा प्रभाव छोड़ने के लिए है, जो दर्शकों की कल्पना में जड़ें जमा सके और सोचने पर मजबूर कर सके।

हमारा तरीका जाति और लैंगिक भेदभाव के **अंतर्संबंध** को उजागर करता है—कैसे ये दोनों एक-दूसरे को मजबूत करते हैं और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाए रखते हैं। थिएटर और शरीर की गति केवल अभिव्यक्ति के साधन नहीं, बल्कि प्रतिरोध के उपकरण हैं, जो उन अनुभवों और कहानियों को सामने लाते हैं जो अक्सर दबा दी जाती हैं।

यह कला का एक **सक्रिय रूप** है, जो गाँव की छुपी हुई कहानियों और अदृश्य संघर्षों को उजागर करता है, शरीर को विरोध का स्थल बनाता है और आवाज़ को न्याय की पुकार। यह न केवल समाज को सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पितृसत्ता और अन्याय के ढांचों को तोड़ने का मार्ग भी दिखाता है।

बिमला विश्वप्रेमी